

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 705]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 दिसम्बर 2020 — पौष 10, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-10/2008/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 619/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2008/15027, दिनांक 08-09-2020 द्वारा मैट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू आरंग, जिला-रायपुर के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 26 एवं 117 के साथ ही अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 132 से 136 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत किया गया है।

- राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।
- उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

प्रस्तावित नये अध्यादेशों का अनुक्रम

क्र.	अध्यादेश संख्या	जोड़े जाने वाले पाठ्यक्रम का नाम	औचित्य
1.	अध्यादेश संख्या- 132	पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीजेएमसी)	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।
2.	अध्यादेश संख्या-133	समाज कार्य में स्नात्कोत्तर (एमएसडब्ल्यू)	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।
3.	अध्यादेश संख्या-134	बैचलर ऑफ आर्ट्स (योगा) ऑनर्स (बी.ए योगा ऑनर्स)	नया पाठ्यक्रम जोड़ा जाना है।
4.	अध्यादेश संख्या-135	एलएलएम एक वर्षीय पाठ्यक्रम (एलएलएम)	बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए मानदंडों के अनुसार। यूजीसी का पत्र और दिशा निर्देश संलग्न हैं।
5.	अध्यादेश संख्या-136	बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (बी.पी.ई.एस.)	नया पाठ्यक्रम, यूजीसी द्वारा अनुमोदित डिग्री नामकरण यूजीसी का पत्र और राजपत्र अधिसूचना संलग्न

अध्यादेश में संशोधन संख्या 26
डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.)

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएच.डी.) के लिए अध्यादेश संख्या 26 में क्लॉज नंबर 32 के बाद क्लॉज नंबर 33 जोड़ें।

33. पीएचडी के संदर्भ में यूजीसी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों और निर्देशों का विश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा। इसकी खण्ड संख्या 33 है जो उप खण्ड संख्या 26.33 है।

अध्यादेश में संशोधन

117 विज्ञान में स्नातक (बी.एससी.)

अध्यादेश संख्या 117 के खंड 2 में 'रसायन विज्ञान' शब्द के बाद निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाएगा – वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान/सांख्यिकी/जैव रसायन/जैव सूचना विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स/पर्यावरण अध्ययन/सामान्य विज्ञान/पृथ्वी विज्ञान।

अध्यादेश 132

पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीजेएमसी)

- 132.1 परिचय : यह अध्यादेश मैट्स विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम पीजीडीजेएमसी होगा।
- इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य अभ्यर्थियों को ईमानदार और प्रगतिशील पत्रकारिता के प्रति प्रोत्साहित करना है। यह पाठ्यक्रम मीडिया के प्रबंधन से लेकर अनुसंधान तक और मीडिया कार्यप्रणाली के एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ तकनीकी जानकारी के लिए उचित रूप से छात्रों के विश्लेषणात्मक कौशल ज्ञान को बढ़ाने के लिए विभिन्न मीडिया व्यवसायों में गहन सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक होगा।
- 132.2 शीर्षक : पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनिकेशन – पीजीडीजेएमसी
- 132.3 संकाय : कला एवं मानविकी संकाय
- 132.4 अवधि : दो सेमेस्टर का एक वर्ष। एक छात्र को इस पाठ्यक्रम को आमतौर पर $n + 2$ सेमेस्टर में पास करने की अनुमति दी जाएगी जहां "n" 2 सेमेस्टर + 2 अतिरिक्त सेमेस्टर है, यदि वह एक प्रयास में इस कोर्स को पास नहीं कर सकता है।
- 132.5 पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक
- 132.6 सीटें : बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी प्रबंधन मंडल द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
- 132.7. प्रवेश प्रक्रिया : प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा और समय-समय पर इस संबंध में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों का पालन किया जाएगा।
- 132.8 शैक्षणिक वर्ष : प्रत्येक वर्ष एक शैक्षणिक सत्र होगा जिसमें दो सेमेस्टर शामिल होंगे। यह सामान्यतः प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होगा, जहां प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
- 132.9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।
- चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा।

प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

132.10 शुल्क

प्रबंधन मंडल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।

132.11 परीक्षा योजना :

विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश 29 के प्रावधानों के अनुसार, अन्यथा जब तक अपेक्षित न हो। इस पाठ्यक्रम में मूल रूप से पहले सेमेस्टर में चार कोर पेपर शामिल होंगे और तीन सेमेस्टर पेपर और दूसरे सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप और वाइवा-वॉयस शामिल होगा। अंतिम कुल अंक आंतरिक परीक्षा और टर्म एंड परीक्षा में एक छात्र द्वारा अर्जित अंकों का एक संयोजन होगा। दूसरे सेमेस्टर के चौथे पेपर के लिए कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। इंटरनल एग्जामिनेशन मार्क्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स का वेट-एज क्रमशः 30 और 70 होगा और पेपर पास करने के लिए छात्र को हर पेपर में न्यूनतम 40% अंक अलग से हासिल करने होंगे। सेमेस्टर दो में चौथे पेपर के मार्क्स इंटर्नशिप और उसके बाद वाइवा-वॉयस के आधार पर दिए जाएंगे। संबंधित विभाग/संकाय द्वारा यथा विनिश्चित/अनुमोदित मीडिया हाउस में छात्र द्वारा इंटर्नशिप अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

132.12 पाठ्यक्रम संरचना :

अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित। सामान्य रूप से, पहले सेमेस्टर में चार थ्योरी पेपर होंगे और दूसरे सेमेस्टर में तीन थ्योरी पेपर होंगे और चौथे पेपर के मार्क्स इंटर्नशिप और वाइवा-वॉयस के आधार पर दिए जाएंगे।

132.13 सामान्य :

पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

अध्यादेश 133

समाज कार्य में स्नात्कोत्तर (एमएसडब्ल्यू)

133. 1 भूमिका — यह अध्यादेश मैट्स विश्वविद्यालय के समाज कार्य में स्नात्कोत्तर के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम एमएसडब्ल्यू होगा। एक नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नौकरी के लिए एमएसडब्ल्यू डिग्री की आवश्यकता होती है। हालांकि स्वास्थ्य और स्कूली सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी इसकी आवश्यकता हो सकती है। चूंकि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें छात्र जाने का विकल्प चुन सकते हैं। स्कूल कभी-कभी मानसिक स्वास्थ्य, बाल कल्याण, स्वास्थ्य, संगठनात्मक नेतृत्व या परिवारों सहित एमएसडब्ल्यू कार्यक्रमों के लिए शिविरों का आयोजन करते हैं। मास्टर ऑफ सोशल वर्क में अध्ययनरत एक छात्र का मौलिक दृष्टिकोण आम व्यक्ति या बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक समर्पण है। छात्रों को दिमाग, दृष्टिकोण और निश्चित रूप से, ज्ञान के संदर्भ में अच्छी तरह से तैयार किया जाता है। एक दृढ़, मुखर और पारदर्शी व्यक्तित्व वह है जो एक पूर्ण और कुशल सामाजिक कार्यकर्ता बनाता है।
133. 2 शीर्षक : समाज कार्य में स्नात्कोत्तर (एमएसडब्ल्यू)
133. 3 संकाय : कला एवं मानविकी संकाय
133. 4 अवधि : दो वर्ष। एक छात्र को इस पाठ्यक्रम को आमतौर पर $n + 2$ सेमेस्टर में पास करने की अनुमति दी जाएगी जहां " n " 4 सेमेस्टर + 2 अतिरिक्त सेमेस्टर है, यदि वह एक प्रयास में इस कोर्स को पास नहीं कर सकता/सकती है।
133. 5 पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक
133. 6 सीटें : बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस यूनिट के एकाधिक इकाई भी प्रबंधन मंडल द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
133. 7 प्रवेश प्रक्रिया : प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा और समय-समय पर इस संबंध में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों का पालन किया जाएगा।
133. 8 शैक्षणिक वर्ष : प्रत्येक वर्ष एक शैक्षणिक सत्र होगा जिसमें दो सेमेस्टर शामिल होंगे। यह सामान्यतः प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होगा, जहां प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
133. 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।
चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।
अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:
1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।
 2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 133.10 शुल्क : प्रबंधन मंडल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।

- 133.11 परीक्षा योजना : विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार, अथवा जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो। कुल अंतिम अंक आंतरिक परीक्षा और टर्म एंड परीक्षा में एक छात्र द्वारा अर्जित अंकों का एक संयोजन होगा। प्रैक्टिकल पेपर के लिए कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। आंतरिक परीक्षा अंक और टर्म एंड परीक्षा अंक का वेट-एज क्रमशः 30 और 70 होगा और पेपर पास करने के लिए छात्र को हर पेपर में न्यूनतम 40% अंक अलग से प्राप्त करने होंगे।
- 133.12 पाठ्यक्रम संरचना : अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित। इस पाठ्यक्रम में मूल रूप से प्रत्येक सेमेस्टर में चार कोर पेपर्स और दो प्रैक्टिकल पेपर शामिल होंगे। पहले और तीसरे सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर में एक नॉन-क्रेडिट पेपर होगा और दूसरे और चौथे सेमेस्टर में दो नॉन-क्रेडिट पेपर अर्थात् पेपर एक और पेपर दो होंगे, प्रत्येक में। दूसरे और चौथे सेमेस्टर में दूसरा नॉन-क्रेडिट पेपर वैकल्पिक होगा।
- 133.13 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।
- किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

अध्यादेश 134

बैचलर ऑफ आर्ट्स (योग) अर्थात् बी.ए. (योग) ऑनर्स

134. 1 भूमिका — इस अध्यादेश को योग में बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए मैट्स विश्वविद्यालय के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम बी.ए. (योग) ऑनर्स होगा। बी. ए. योग या बैचलर ऑफ आर्ट्स इन योग एक स्नातक योग कार्यक्रम है। प्राचीन भारतीय दर्शन में अपनी उत्पत्ति के साथ योग स्वस्थ जीवन जीने का एक समग्र आचरण रहा है। योग का विज्ञान जीवन जीने का पूरा तरीका सिखाता है। इसका अर्थ है व्यक्तिगत चेतना का या आत्मा का सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन। इसका संबंध भावनात्मक एकीकरण और आध्यात्मिक उत्थान से है। रहस्यवाद का एक स्पर्श सूक्ष्म लोकों की झलक देता है जो हम में से प्रत्येक के भीतर हैं। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य उत्साही लोगों को योग चिकित्सक, योग शिक्षक या योग प्रशिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षित करना है जिससे वे स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए एक योग्य शिक्षक की देखरेख में योग सिखा सकें।
134. 2 शीर्षक : बैचलर ऑफ आर्ट्स (योग) ऑनर्स — बी.ए. योग ऑनर्स
134. 3 संकाय : शारीरिक शिक्षा संकाय
134. 4 अवधि : तीन वर्ष, छह सेमेस्टर। एक छात्र को इस पाठ्यक्रम को आमतौर पर $n + 2$ सेमेस्टर में पास करने की अनुमति दी जाएगी जहां "n" 6 सेमेस्टर + 2 अतिरिक्त सेमेस्टर है, यदि वह एक प्रयास में इस कोर्स को पास नहीं कर सकता है।
134. 5 पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा या समकक्ष में 10 + 2 उत्तीर्ण।
134. 6 सीटें : बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस यूनिट के एकाधिक इकाई भी प्रबंधन मंडल द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
134. 7 प्रवेश प्रक्रिया : प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा और समय-समय पर इस संबंध में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों का पालन किया जाएगा।
134. 8 शैक्षणिक वर्ष : प्रत्येक वर्ष एक शैक्षणिक सत्र होगा जिसमें दो सेमेस्टर शामिल होंगे। यह सामान्यतः प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होगा, जहां प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
134. 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।
चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।
अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:
1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।
 2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 134.10 शुल्क : प्रबंधन मंडल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।

- 134.11 परीक्षा योजना : विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार, अन्यथा जब तक अपेक्षित न हो। कुल अंतिम अंक आंतरिक परीक्षा और टर्म एंड परीक्षा में एक छात्र द्वारा अर्जित अंकों का एक संयोजन होगा। प्रैक्टिकल पेपर के लिए कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी। आंतरिक परीक्षा अंक और टर्म एंड परीक्षा अंक का वेट-एज क्रमशः 30 और 70 होगा और पेपर पास करने के लिए छात्र को हर पेपर में न्यूनतम 40% अंक अलग से प्राप्त करने होंगे।
- 134.12 पाठ्यक्रम संरचना : अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित। प्रत्येक सेमेस्टर में चार थ्योरी पेपर और दो प्रैक्टिकल पेपर होंगे।
- 134.13 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।
- किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

अध्यादेश 135

कानून में स्नातकोत्तर-एलएलएम (एक वर्षीय पाठ्यक्रम)

135. 1 भूमिका — यह अध्यादेश मैट्स विश्वविद्यालय के मास्टर ऑफ लॉ एक वर्षीय पाठ्यक्रम के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम एलएलएम होगा। इस पाठ्यक्रम की संरचना समाज की आवश्यकता को देखते हुए बनाई गई है और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि दो वर्ष के पाठ्यक्रम को एक वर्ष की समय अवधि में संघनित किया गया है, जिससे विद्यार्थी अच्छी तरह से अनुसंधान प्रक्रिया में दक्ष हो जाएं और समकालीन बदलते कानूनी न्यायशास्त्र को गहनता व मजबूती के साथ सीखने का अवसर प्राप्त हो सके। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक तीव्रता के साथ समझौता किए बिना एक वर्ष में मास्टर आफ लॉ का अध्ययन करने के यूजीसी की मंजूरी का लाभ विद्यार्थियों को मिलता है।
- इस पाठ्यक्रम के संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।
135. 2 शीर्षक : मास्टर आफ लॉ- एलएलएम
135. 3 संकाय : कानून का स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्र - कानून संकाय
135. 4 अवधि : दो सेमेस्टर का एक वर्ष। एक छात्र को इस पाठ्यक्रम को आमतौर पर $n + 2$ सेमेस्टर में पास करने की अनुमति दी जाएगी जहां "n" 2 सेमेस्टर + 2 अतिरिक्त सेमेस्टर है, यदि वह एक प्रयास में इस कोर्स को पास नहीं कर सकता है।
135. 5 पात्रता : सामान्य श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक।
135. 6 सीटें : बुनियादी इकाई 50 सीटों की होगी। इस यूनिट के एकाधिक इकाई भी प्रबंधन मंडल द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।
135. 7 प्रवेश प्रक्रिया : प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा और समय-समय पर इस संबंध में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों का पालन किया जाएगा।
135. 8 शैक्षणिक वर्ष : प्रत्येक वर्ष एक शैक्षणिक सत्र होगा जिसमें दो सेमेस्टर शामिल होंगे। यह सामान्यतः प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होगा, जहां प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।
135. 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।
- चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।
- अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:
1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।
 2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
 3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
 4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 135.10 शुल्क पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन मंडल द्वारा तय किया जाएगा एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।
- 135.11 परीक्षा योजना : विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार, जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो। कुल अंतिम अंक आंतरिक परीक्षा और टर्म एंड परीक्षा में एक छात्र द्वारा अर्जित अंकों का एक संयोजन होगा। आंतरिक परीक्षा अंक और टर्म एंड परीक्षा अंक का वेट-एज क्रमशः 40 और 60 होगा और पेपर पास करने के लिए छात्र को हर पेपर में न्यूनतम 45% अंक अलग से प्राप्त करने होंगे।
- 135.12 पाठ्यक्रम संरचना : जैसा कि यूजीसी द्वारा अपनी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध कराया गया है और अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित है, इसके लिए पाठ्यक्रम के अनुसार संरचना बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा तैयार की गई है।
- 135.13 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

अध्यादेश 136

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (बी.पी.ई.एस.)

136. 1 भूमिका —

यह अध्यादेश मैट्स विश्वविद्यालय के बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम बी.पी.ई.एस होगा। भारत में शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान के क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से बीपीईएस पाठ्यक्रम बनाया गया है। इस कोर्स को बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है। बीपीईएस पाठ्यक्रम एक उन्नत पाठ्यक्रम का दावा करता है। पाठ्यक्रम की सामग्री को संशोधित किया गया है। उच्च मानकों को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, यह कार्यक्रम खेल विज्ञान को भी पर्याप्त महत्व देता है। शारीरिक शिक्षा भारत में स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन प्रायः छात्रों, अभिभावकों के साथ-साथ स्कूलों द्वारा आश्चर्यजनक रूप से इसे अनदेखा किया जाता है। बीपीईएस पाठ्यक्रम उन पेशेवरों को विकसित करने में मदद करेगा जो इस परिदृश्य को बदल देंगे। पाठ्यक्रम के अंतर्गत पीई शिक्षक, खेल शिक्षक, कोच और प्रशिक्षक विकसित किए जाएंगे जो भारत में खेल कोचिंग और शारीरिक शिक्षा का चेहरा बदल देंगे।

इस पाठ्यक्रम के संबंध में NCTE द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए इस पाठ्यक्रम को संचालित किया जाएगा।

136. 2 शीर्षक :

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स (बी.पी.ई.एस)

136. 3 संकाय :

शारीरिक शिक्षा

136. 4 अवधि :

तीन वर्ष, छह सेमेस्टर। एक छात्र को इस पाठ्यक्रम को आमतौर पर $n + 2$ सेमेस्टर में पास करने की अनुमति दी जाएगी जहां "n" 6 सेमेस्टर + 2 अतिरिक्त सेमेस्टर है, यदि वह एक प्रयास में इस कोर्स को पास नहीं कर सकता है।

136. 5 पात्रता :

सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए न्यूनतम 50% अंक और आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए 45% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 उत्तीर्ण।

136. 6 सीटें :

बुनियादी इकाई 100 सीटों की होगी। इस यूनिट के एकाधिक इकाई भी संबंधित मंडल/संबंधित नियामक प्राधिकरण/विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

136. 7 प्रवेश प्रक्रिया :

बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पाठ्यक्रम में प्रवेश उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 उत्तीर्ण किया हो। प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा और समय-समय पर इस संबंध में राज्य के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों का पालन किया जाएगा।

136. 8 शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष एक शैक्षणिक सत्र होगा जिसमें दो सेमेस्टर शामिल होंगे। यह सामान्यतः प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होगा, जहां प्रथम सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर तक और द्वितीय सेमेस्टर जनवरी से जून तक होगा।

136. 9 चयन प्रक्रिया :

विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।

चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।

अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।
2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।
3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

136.10 शुल्क

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन मंडल द्वारा तय किया जाएगा एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित।

136.11 परीक्षा योजना :

विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार। कुल अंतिम अंक आंतरिक परीक्षा और टर्म एंड परीक्षा में एक छात्र द्वारा अर्जित अंकों का एक संयोजन होगा। आंतरिक परीक्षा अंक और टर्म एंड परीक्षा अंक का वेट-एज क्रमशः 30 और 70 होगा और पेपर पास करने के लिए छात्र को हर पेपर में न्यूनतम 40% अंक अलग से प्राप्त करने होंगे। परीक्षा में तीन भाग होंगे जिनमें सैद्धांतिक, कौशल और प्रगति, औपचारिक गतिविधि और शिक्षण अभ्यास शामिल हैं।

136.12 पाठ्यक्रम संरचना :

अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित। सभी सेमेस्टर के सिलेबस में चार भाग सैद्धांतिक, कौशल और प्रगति, औपचारिक गतिविधि और शिक्षण अभ्यास शामिल होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में पांच थ्योरी पेपर और छह स्पोर्ट्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और एक फॉर्मल एक्टिविटी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। छात्रों को अलग से सभी पेपरों को पास करना होगा चाहे सैद्धांतिक हो या व्यावहारिक।

136.13 सामान्य :

पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

अटल नगर, दिनांक 31 दिसम्बर 2020

क्रमांक एफ 3-10/2008/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-12-2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

Atal Nagar, the 31st December 2020

NOTIFICATION

No. F 3-10/2008/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 619/PU/S&O/2008/15027, Dated 08-09-2020 has approved the amendment of Ordinance No. 26 and 117 as well the New Ordinances No. 132 to 136 of Mats University, Gullu, Aarang, District-Raipur, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of above Ordinances in Official Gazette.
3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Secretary.

INDEX OF PROPOSED NEW ORDINANCES

SN	Number of Ordinance	Name of the Program that are to be Added	Justification
1	Ordinance no. - 132	Post Graduate Diploma in Journalism & Mass Communication – (PGDJMC)	New course to be added
2	Ordinance no. – 133	Master in Social Work (MSW)	New course to be added
3	Ordinance no. – 134	Bachelor of Arts (Yoga) Honors – (BA Yoga Honors)	New course to be added
4	Ordinance no. – 135	LLM One Year Course (LLM)	As per the new norms of Bar Council of India. UGC Letter & Guidelines attached.
5	Ordinance no. – 136	Bachelor of Physical Education & Sports (B. P. E. S.)	New Course, Degree nomenclature approved by UGC UGC Letter & Gazette Notification attached

AMENDMENT IN ORDINANCE No. 26

Doctor of Philosophy (Ph. D.)

Add Clause No. 33 after Clause No. 32 in Ordinance No. 26 for Doctor of Philosophy (Ph. D.) as following –

33. The Regulations framed and Directives issued by the UGC from time to time in context to Ph. D. (Doctor of Philosophy) shall be followed by the University. The clause to it shall be clause number 33 that is Clause no. 26.33.

AMENDMENT IN ORDINANCE-117

Bachelor of Science (B. Sc.)

The following subjects shall be added after the word “Chemistry” in Clause 2 of Ordinance No. 117 - Botany/ Zoology / Statistics / Biochemistry / Bioinformatics / Electronics / Environment Studies / General Science / Earth Science.

ORDINANCE 132

Post Graduate Diploma in Journalism & Mass Communication – PGDJMC

- 132.1. Introduction: This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Post Graduate Diploma in Journalism & Mass Communication abbreviated as PGDJMC.
- The aim of this program shall be to instruct honest and progressive journalism to the Candidates. The course shall be helpful to provide intensive theoretical and practical knowledge in various media professions ranging from the management of media Organization to research and an integrated perspective of media functioning along with a fair amount of exposure to technical know-how to hone the students' analytical skills.
- 132.2. Title: Post Graduate Diploma in Journalism & Mass Communication-PGDJMC
- 132.3. Faculty: Faculty of Arts & Humanities
- 132.4. Duration: One Year of two semesters. A student shall be allowed to pass this course normally in n+2 Semesters where "n" is 2 Semesters + 2 additional semesters, in case he/she could not pass this course in one attempt.
- 132.5. Eligibility: Graduation in any discipline from a recognized University
- 132.6. Seats: The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 132.7. Admission Procedure: Admission shall be granted on the basis of Merit / Entrance Examination. Reservation policy of the state government shall be adhered to and guidelines & instructions issued by the Higher Education Department of the state in this regard from time to time shall be observed scrupulously.
- 132.8 Academic year: There shall be one academic session each year which shall comprise of two Semesters. It will ordinarily be from July to June every year, where first semester shall be from July to December and second semester shall be from January to June.
- 132.9. Selection Procedure: The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the university's selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission May be rejected due to following reasons:
1. The application form is incomplete in anyways.
 2. The fees is not paid by the due date
 3. Supporting documents required for admission are not enclosed.
 4. Wrong information is given in the application form.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents or fees.
- 132.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

- 132.11. Examination Scheme: As per University Examination Ordinance 29, unless provided otherwise. This course shall basically comprise of four Core Papers in the first Semester and three Core Papers and one Internship and Viva-voce in Second Semester. Final total of the marks shall be a combination of the marks earned by a student in Internal Examinations and Term End Examinations. There shall be no Internal Examination for the Fourth Paper of Second Semester. Weight-age of Internal Examination Marks and Term End Examination Marks shall be 30 and 70 respectively and to pass a paper the student shall have to earn minimum 40% marks in each paper separately. Marks of fourth paper in Semester two shall be awarded on the basis of Internship and subsequent Viva-voce. Internship shall be essentially carried out by the student in a relevant Media House as identified by the concerned department/faculty.
- 132.12. Course Structure: As framed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. Generally, first Semester shall have four Theory Papers and second Semester shall have three theory papers and marks of fourth paper shall be awarded on the basis of Internship and Viva-voce.
- 132.13. General: In all matters, pertaining to the course, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.
- In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE 133

Master in Social Work – MSW

- 133.1. Introduction: This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Masters in Social Work – abbreviated as MSW. An MSW degree is a requirement for a job as a clinical social worker, although healthcare and school social workers may also need the credential. Since there are many fields that students can choose to go into, schools sometimes offer concentrations for MSW programs, including mental health, child welfare, health, organizational leadership or families. The fundamental outlook of a student pursuing a programme in Master of Social Work is a dedication to the cause of the common man or the society at large. The students are thoroughly groomed in terms of mind-set, outlook and of course, knowledge. A stoic, assertive and transparent personality is what makes a complete and efficient Social Worker.
- 133.2. Title: Master in Social Works - MSW
- 133.3. Faculty: Faculty of Arts & Humanities
- 133.4. Duration: Two Years of four semesters. A student shall be allowed to pass this course normally in n+2 Semesters where “n” is 4 Semesters + 2 additional semesters, in case he/she could not pass this course in one attempt.
- 133.5. Eligibility: Graduation in any discipline from a recognized University
- 133.6. Seats: The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 133.7. Admission Procedure: Admission shall be granted on the basis of Merit / Entrance Examination. Reservation policy of the state government shall be adhered to and guidelines & instructions issued by the Higher Education Department of the state in this regard from time to time shall be observed scrupulously.
- 133.8 Academic year: There shall be one academic session each year which shall comprise of two Semesters. It will ordinarily be from July to June every year, where first semester shall be from July to December and second semester shall be from January to June.
- 133.9. Selection Procedure: The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the university’s selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission May be rejected due to following reasons:
1. The application form is incomplete in anyways.
 2. The fees is not paid by the due date
 3. Supporting documents required for admission are not enclosed.
 4. Wrong information is given in the application form.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents or fees.
- 133.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

-
- 133.11. Examination Scheme: As per University Examination Ordinance 29, unless provided otherwise. Final total of the marks shall be a combination of the marks earned by a student in Internal Examinations and Term End Examinations. There shall be no Internal Examination for the Practical Papers. Weight-age of Internal Examination Marks and Term End Examination Marks shall be 30 and 70 respectively and to pass a paper the student shall have to earn minimum 40% marks in each paper separately.
- 133.12. Course Structure: As framed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. This course shall basically comprise of four Core Papers and two Practical Papers in the each Semester. In First and third Semester there shall be one Non-credit paper in each Semester and in Second and Fourth Semesters there shall be two Non-credit papers i.e. paper one and paper two, in each. Second Non-credit paper in second and fourth Semesters shall be optional.
- 133.13. General: In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.
- In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE 134

Bachelor of Arts (Yoga) Honors i.e. B.A. (Yoga) Honors

- 134.1. Introduction: This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Bachelor of Arts in Yoga B.A. Yoga Honors abbreviated as B.A. (Yoga) Hons. B.A. Yoga or Bachelor of Arts in Yoga, Honors is an undergraduate Yoga programme. Yoga is a holistic way of healthy living with its origin in ancient Indian philosophy. The science of yoga imbibes the complete essence on the 'Way of Life'. It means the union of the individual consciousness or soul with the universal consciousness or spirit. It is about emotional integration and spiritual elevation. A touch of mysticism gives a glimpse of the subtle realms that are within each one of us. This course aims at training the enthusiasts to become Yoga therapist, Yoga Teacher or Yoga Instructor so that they could teach yoga under the supervision of a well qualified Teacher for health and healing.
- 134.2. Title: Bachelor of Arts (Yoga) Honors - B.A. Yoga Honors
- 134.3. Faculty: Faculty of Physical Education
- 134.4. Duration: Three Years of Six semesters. A student shall be allowed to pass this course normally in n+2 Semesters where "n" is 6 Semesters + 2 additional semesters, in case he/she could not pass this course in one attempt.
- 134.5. Eligibility: Passed 10+2 in any discipline from a recognized Board of Higher Secondary Education or equivalent.
- 134.6. Seats: The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 134.7. Admission Procedure: Admission shall be granted on the basis of Merit List. Reservation policy of the state government shall be adhered to and guidelines & instructions issued by the Higher Education Department of the state from time to time in this regard shall be observed scrupulously.
- 134.8 Academic year: There shall be one academic session each year which shall comprise of two Semesters. It will ordinarily be from July to June every year, where first semester shall be from July to December and second semester shall be from January to June.
- 134.9. Selection Procedure: The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the university's selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission May be rejected due to following reasons:
1. The application form is incomplete in anyways.
 2. The fees is not paid by the due date
 3. Supporting documents required for admission are not enclosed.
 4. Wrong information is given in the application form.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents or fees.
- 134.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

-
- 134.11. Examination Scheme: As per University Examination Ordinance 29, unless provided otherwise. Final total of the marks shall be a combination of the marks earned by a student in Internal Examinations and Term End Examinations. There shall be no Internal Examination for the Practical Papers. Weight-age of Internal Examination Marks and Term End Examination Marks shall be 30 and 70 respectively and to pass a paper the student shall have to earn minimum 40% marks in each paper separately.
- 134.12. Course Structure: As framed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. Each Semester shall have four theory papers and two practical papers.
- 134.13. General: In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.
- In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE 135

Master of Law – LLM (One Year Course)

- 135.1. Introduction: This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Master of Law – abbreviated as LLM. The course structure is designed considering the need of the society and considering the fact the a course of two year has been condensed into a time span of one year, so that the scholar should get well equipped with the research process and get a learning opportunity in synchronization of changing legal jurisprudence and robust/intense teaching leaning process. The objective of the programme ensures that the scholar gets the benefit of UGC approval of studying the Masters of Law in one year without compromising with the required intensity of this Post Graduate course. Guidelines issued by the Bar Council of India, from time to time, in regard to this course shall be followed, strictly.
- 135.2. Title: Master of Laws - LLM
- 135.3. Faculty: Center for Post-Graduate Legal Studies, Faculty of Law
- 135.4. Duration: One Year of two semesters. A student shall be allowed to pass this course normally in n+2 Semesters where “n” is 2 Semesters + 2 additional semesters, in case he/she could not pass this course in one attempt.
- 135.5. Eligibility: Graduate in Law from a recognized University with minimum 50% marks for candidates belonging to general category and 45% for candidates belonging to reserve category.
- 135.6. Seats: The basic unit will be of 50 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
- 135.7. Admission Procedure: Admission shall be granted on the basis of Entrance Examination. Reservation policy of the state government shall be adhered to and guidelines & instructions issued by Higher Education Department of the state in this regard from time to time shall be observed scrupulously.
- 135.8 Academic year: There shall be two academic sessions where each Session shall comprise of two Semesters. First academic session generally will be from July to June and second academic session generally will be from January to December every year.
- 135.9. Selection Procedure: The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission after the Entrance Examination will be displayed on the website and/or the students will be informed directly about their admission. The centre will also display the university’s selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission May be rejected due to following reasons:
1. The application form is incomplete in anyways.
 2. The fees is not paid by the due date
 3. Supporting documents required for admission are not enclosed.
 4. Wrong information is given in the application form.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents or fees.
- 135.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

-
- 135.11. Examination Scheme: As per University Examination Ordinance 29, unless provided otherwise. Final total of the marks shall be a combination of the marks earned by a student in Internal Examinations and Term End Examinations. Weightage of Internal Examination Marks and Term End Examination Marks shall be 40 and 60 respectively and to pass a paper the student shall have to earn minimum 45% marks in each paper separately.
- 135.12. Course Structure: As framed by the Board of Studies according to the course structure for it made available by UGC on its website www.ugc.ac.in and approved by the Academic Council.
- 135.13. General: In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice-Chancellor will be competent to change the system/ pattern of Examination.
- In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.

ORDINANCE – 136

Bachelor of Physical Education & Sports (B. P. E. S.)

- 136.1 Introduction: This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Bachelor of Physical Education & Sports. BPES course has been created with the aim of developing physical education and sports science sectors in India. This course is also known as Bachelor of Physical Education and Sports Sciences program. BPES course boasts of an upgraded curriculum. The course content has been revised. The standards have been set high. Apart from that, the program also gives adequate importance to sports sciences. Physical education forms an integral part of schooling process in India. But it is often overlooked by students, parents as well as surprisingly by schools. BPES course will help develop professionals who will change this scenario. The course will develop PE teachers, sports teachers, coaches and instructors who will change the face of sports coaching and physical education in India.
- This course shall be conducted strictly according to the Guidelines issued, if any in regard to this course by NCTE, from time to time.
- 136.2 Title: Bachelor of Physical Education Integrated - B. P. E. S.
- 136.3 Faculty: Physical Education
- 136.4 Duration: Three Years of six semesters. A student shall be allowed to pass this course normally in n+2 Semesters where “n” is 6 Semesters + 2 additional semesters, in case he/she could not pass this course in one attempt.
- 136.5 Eligibility: Passed 10+2 from any recognized Board of Higher Secondary Education with minimum 50% marks for General Category Students and 45% marks for Reserve Category students.
- 136.6 Seats: Basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the concerned Board / Concerned Regulatory Authority / University.
- 136.7 Admission Procedure: Admission to Bachelor of Physical Education & Sports course shall be open to those who have passed 10+2 from a recognized Board of Higher Secondary Education. Admission shall be granted on the basis of Merit/Entrance Examination. Reservation policy of the state government shall be adhered to and guidelines & instructions issued by Higher Education Department of the state in this regard from time to time shall be observed scrupulously.
- 136.8 Academic year: There shall be one academic session each year which shall comprise of two Semesters. It will ordinarily be from July to June every year, where first semester shall be from July to December and second semester shall be from January to June.
- 136.9 Selection Procedure: The University will issue admission notification in news papers, on the notice boards of the university, University website and in other publicity media like T.V. and Radio before the start of every academic year.
- The list of selected candidates will be displayed on the University website, on the notice board and the student will be informed directly about their admission.
- The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheet/Degree certificate as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled.
- The admission may be rejected due to any of the following reasons.
1. The application form is incomplete in anyways.
 2. The fees is not paid by the due date
 3. The supporting documents required for admission are not enclosed.

	4. Wrong information is provided in the application form for admission.
	Registration number will be assigned to the student by the university after verification and submission of all necessary documents and fees.
136.10 Fee:	The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.
136.11 Examination Scheme:	As per university examination ordinance No 29. Final total of the marks shall be a combination of the marks earned by a student in Internal Examinations and Term End Examinations. Weight-age of Internal Examination Marks and Term End Examination Marks shall be 30 and 70 respectively and to pass a paper the student shall have to earn minimum 40% marks in each paper separately. Examination shall consist of three parts that are Theory, Skill and Prowess, Formal Activity and Teaching Practice.
136.12 Course Structure:	As framed by the Board of Studies and approved by the Academic Council. Syllabus of all Semesters shall comprise of four parts that are Theory, Skill and Prowess, Formal Activity and Teaching Practice. There shall be five theory papers and six Sports practical Examinations and one Formal Activity Practical Examination in each semester. Students shall have to pass all papers whether theory or practical, separately.
136.13 Note:	This course shall run strictly according to the rules & regulations of National Council for Teachers' Education i.e. NCTE and all the guidelines issued by it in this regard from time to time shall be strictly adhered to.
136.14 General:	In all matters, pertaining to the courses, decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination. In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of Chhattisgarh.